न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –93/2016 एवं 111/2016 जिला दौसा ।

1. कालूराम पुत्र नन्दा
2. मुन्ना पुत्र नन्दा
3. सुन्दर बेवा नन्दा
   जाति नाई, निवासी कल्लावास, तहसील लालसोट, जिला दौसा हाल तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नाथी पत्नी गैन्दी लाल जाति मीणा, निवासी जीतपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
3. तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. कलक्टर दौसा दिनांक 22.1.2016 अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपील संख्या 111/2016 जिला दौसा

1. सुन्दर बेवा नन्दा
2. मुन्ना पुत्र नन्दा
3. कालूराम पुत्र नन्दा
   जाति नाई, निवासी कल्लावास, तहसील लालसोट, जिला दौसा हाल तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नाथी देवी पत्नी गैन्दी लाल जाति मीणा, निवासी जीतपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ पचवारा, दौसा दिनांक 17.10.2016 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मुकेश शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सतीश पारीक

निर्णय

दिनांक– 1.5.2018

यह दोनों अपीले राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 एवं 75 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.1.2016 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 17.10.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम जीतपुर, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 196 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा में 103/322 हिस्से के खातेदार अपीलान्ट कालू, मुन्ना पि. नन्दा एवं सुन्दर बेवा नन्दा नाई है । उक्त खातेदारों ने अपने हिस्से की उपरोक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2005 द्वारा रेस्पोंडेन्ट नाथी देवी पत्नी गैंदी लाल भीना को विक्रय की गई ओर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 5.11.2005 को प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 209 केता नाथी देवी के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा दिनांक 22.11.2005 को स्वीकृत किया है । इसके पश्चात् उक्त नामांतरकरण संख्या 209 दिनांक 22.11.2005 का दिनांक 9.12.2005 को पुनवारावलोकन कर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा कालू बनाम सरकार उनवानी प्रकरण में दिनांक 22.9.98 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा राजस्व रिकार्ड मे कोई परिवर्तन नहीं करने तथा उप खण्ड अधिकारी लालसोट के आदेश कमांकः 777 दिनांक 11.11. 2005 द्वारा नामांतरकरण की कार्यवाही ताहुक्मसानी नहीं करने के स्थगन आदेश की जानकारी होने पर नामांतरकरण संख्या 209 पर दिनांक 22.11.2005 को पारित आदेश निरस्त किया गया तथा पूर्व इन्द्राजात यथावत रखने के आदेश दिये गये ।

तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा के नामांतरकरण संख्या 209 पर पारित आदेश दिनांक 9.12.2015 से व्यथित होकर विवादित भूमि की केता रेस्पोंडेन्ट नाथी देवी द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.1.2016 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 209 दिनांक 9.12.2005 को तहसीलदार द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश होने की जानकारी होने पर पुनरावलोकन आदेश पारित करने , अपीलान्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण कालूराम बनाम राजस्थान सरकार खारिज होने संबंधी निर्णय दिनांक 9.1.2007 की प्रति न्यायालय में पेश करने व वाद पत्र खारिज होने से स्थाई निषेधाज्ञा का कोई महत्व नहीं नहीं रहने से अपील स्वीकार किया जाना उचित मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 9.12.2005 बाबत नामांतरकरण सख्या 209 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को प्रकरण में अगर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 22.1.2016 की अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2016 पारित कर उक्त खसरा नम्बर 196 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा का नामांतरकरण किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो श्रीमति नाथी देवी धर्मपत्नि गैन्दी लाल कौम मीना निवासी जीतपुर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये ।

विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि श्रवण पुत्र गोविन्दा, जोजे लोहड्या , चुन्या पुत्र रतना, रामपाल पुत्र लालू , रामनिवास, ग्यारसा, गैंद्या पिता सोन्या मीना, निवासी जीतपुर ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 196 मि. रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा ग्रम जीतपुर को नन्दा पुत्र गोपी

नाई को विक्रय करदी । उक्त हस्तान्तरण धारा 42 बी एवं 46 ए काश्तकारी अधिनियम के प्रतिकूल है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि कब्जे राज लिये जाने के आदेश प्रदान करावें । तहसीलदार के उक्त प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी ने सरकार बनाम श्रवण उनवानी प्रकरण में निर्णय दिनांक 7.5.1984 को पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी को सिवायचक घोषित करते हुये अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । उक्त निर्णय के खिलाफ नन्दा पुत्र गोपी नाई की अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने निर्णय दिनांक 23.3.93 द्वारा खारिज करते हुये उप खण्ड अधिकारी दौसा का निर्णय दिनांक 7.5.84 यथावत बहाल रखा है ।

अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.1.16 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 9.12.2005 बाबत नामांतरकरण संख्या 209 से व्यथित होकर विवादित भूमि के खातेदारों द्वारा यह पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 22.1.16 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 17.10.16 निरस्त कर मुताबिक निर्णय उप जिलाधीश दौसा एवं निर्णय राजस्व अपील अधिकारी द्वितीय जयपुर के निर्णयानुसार आराजी को सिवायचक अमल किया जाकर कब्जे राज लिये जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का विक्रय दिनांक 31.8.1962 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता मीना जाति के लोगों द्वारा अपीलान्ट्स कालू व मुन्ना के पिता व सुन्दर के पति नन्दा जाति नाई को विक्रय कर दी थी । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नन्दा पुत्र गोपी नाई का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया जिस पर उप खण्ड अधिकारी ने विवादित भूमि को सिवायचक घोषित कर दी तथा उप खण्ड अधिकारी के इस निर्णय के खिलाफ नन्दा नाई की अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने खारिज कर दी ओर इसके पश्चात् अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में दावा पेश किया जिस पर दिनांक 22.9.98 को उक्त आराजियात पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हुये । उप खण्ड अधिकारी ने भी दिनांक 11.11.2005 को नामांतरकरण की कार्यवाही को ताफैसला नहीं करने बाबत स्थगन आदेश पारित किये थे । उक्त स्थगन आदेशो एवं प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहने के उपरान्त रेस्पोंडेन्ट नाथी पत्नी गैन्दा लाल मीणा द्वारा विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2005 से क्रय कर ली एवं नामांतरकरण दिनांक 22.11.2005 को अपने नाम खुलवा लिया , लेकिन सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 22.9.98 की जानकारी तहसीलदार को होने पर नामांतरकरण संख्या 209 को पुनरावलोकन करते हुये खारिज कर दिया । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के विधिक तथ्यों को समझे बिना तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं , जो निरस्तनीय है । प्रश्नगत नामांतरकरण में अपीलान्ट्स का नाम अंकित था एवं वे प्रभावित पक्षकार थे जिन्हे पक्षकार नहीं बनाकर क्षेत्राधिकार से परे जाकर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जिन्हें विधिक नहीं ठहराया जा सकता । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय अति कलक्टर दौसा एवं तहसीलदार रामगढ पचावारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रकरण के महत्वपूर्ण व विधिक तथ्यों के

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विपरीत , प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्नीय है । अतः दोनो अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावे तथा उप खण्ड अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णयानुसार विवादित भूमि सिवायचक दर्ज की जाकर कब्जे राज की जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का विक्रय अपीलान्ट्स, जो कि रेकार्डेड खातेदार थे, के द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नाथी पत्नी गैंदा मीणा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि की केता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नाथी के नाम पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण भरा गया था जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.11.2005 को स्वीकृत कर दिया था । प्रश्नगत नामांतरकरण के पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही दिनांक 9.12.2005 को प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि न्यायालय का स्थगन आदेश खारिज हो चुका है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पुनः नामांतरकरण खोलना चाहिये था , लेकिन ऐसा नहीं कर कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि राज्य सरकार द्वारा रामगढ पचवारा अलग तहसील बना दी गई थी ओर ग्रम जीतपुर रामगढ पचवारा तहसील के अन्तर्गत आता है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का यह दायित्व था कि वाद संख्या 28/98 दिनांक 9.1.2007 को खारिज होने के पश्चात् विवादित भूमि का नामांतरकरण संख्या 209 को बहाल करते , लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया । उनका यह भी कहना था कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जब तक सक्षम न्यायालय से खारिज नहीं हो जाता तब तक उसके आधार पर केता के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने के अलावा तहसीलदार के समक्ष ओर कोई विकल्प नहीं रहता । उनका कहना था कि तहसीलदार के पुनरावलोकन आदेश दिनांक 9.12.2005 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.1.2016 द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 9.12.2005 निरस्त कर प्रकरण पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया था एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा आदेश दिनांक 17.10.2016 पारित कर विवादित भूमि का नामांतरकरण किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नाथी देवी धर्मपत्नि गैंन्दी लाल कौम मीना के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाकर दोनों अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार अपीलान्ट कालू, मुन्ना पि. नन्दा एवं सुन्दर बेवा नन्दा जाति नाई द्वारा विवादित भूमि का विक्रय रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नाथी जाति मीना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2005 द्वारा किये जाने पर विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 209 केता नाथी देवी के नाम तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा दिनांक 22.11.2005 को स्वीकृत किया गया । इसके पश्चात् उक्त नामांतरकरण संख्या 209 दिनांक 22.11.2005 का दिनांक 9.12.2005 को पुनवारावलोकन कर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा कालू बनाम सरकार उनवानी प्रकरण में दिनांक 22.9.98 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा राजस्व रिकार्ड मे कोई परिवर्तन नहीं करने तथा उप खण्ड अधिकारी लालसोट के आदेश क्रमांकः 777 दिनांक 11.11.2005 द्वारा नामांतरकरण की कार्यवाही ताहुक्मसानी

नहीं करने के स्थगन आदेश की जानकारी होने पर नामांतरकरण संख्या 209 पर दिनांक 22.11.2005 को पारित आदेश निरस्त किया गया तथा पूर्व इन्द्राजात यथावत रखने के आदेश दिये गये ।

तहसीलदार के पुनरावलोकन आदेश दिनांक 9.12 2005 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अति. कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 22 1.16 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण कालूराम बनाम राज. सरकार निर्णय दिनांक 9.1.2007 द्वारा खारिज होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई महत्व नहीं रहने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार का पुनरावलोकन आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड करने पर तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 17.10.2016 से नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट नाथी देवी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं ।

प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 196 मि. रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा ग्राम जीतपुर को मीना जाति के लोगों द्वारा अपीलान्ट्स के पिता एवं पति नन्दा पुत्र गोपी जाति नाई को किये गये विक्रय का हस्तान्तरण धारा 42 बी एवं 46 ए काश्तकारी अधिनियम के प्रतिकूल होने से तहसीलदार द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उप खण्ड अधिकारी ने सरकार बनाम श्रवण उनवानी प्रकरण में निर्णय दिनांक 7.5.1984 को पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी को सिवायचक घोषित करते हुये अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । उक्त निर्णय के खिलाफ नन्दा पुत्र गोपी नाई की अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने निर्णय दिनांक 23.3.93 द्वारा खारिज करते हुये उप खण्ड अधिकारी दौसा का निर्णय दिनांक 7.5.84 यथावत बहाल रखा है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 7.5.84 द्वारा विवादित भूमि सिवायचक घोषित की जाकर अप्रार्थीगण श्रवण वगैहरा को बेदखल करने एवं भूमि कब्जे राज लेकर अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार को दिये थे । उप खण्ड अधिकारी का उक्त निर्णय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.3.93 द्वारा बहाल रखते हुये नन्दा एवं गोपी नाई की अपील खारिज की है । इसके बाद नन्दा नाई के पुत्रान एवं बेवा का वाद अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी कालू नाई बनाम सरकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) लालसोट के निर्णय दिनांक 9.1.2007 खारिज हो चुका है । विवादित भूमि की केता नाथी पत्नि गैंदी लाल जाति मीना ने अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष नामांतरकरण संख्या 209 दिनांक 9.12.2005 के खिलाफ प्रस्तुत अपील में मात्र सरकार को पक्षकार बनाया था जबकि विवादित भूमि के विक्रेताओं को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिये था । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा ने भी विवादित भूमि के विक्रेताओं को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.1.2016 में उप खण्ड अधिकारी द्वारा विवादित भूमि सिवायचक घोषित कर कब्जेराज लेने के आदेश 7.5.84 एवं यह आदेश राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.3.93 द्वारा बहाल रहने का कोई उल्लेख नहीं किया, जो इस प्रकरण का महत्वपूर्ण बिन्दु है । इतना ही नहीं तहसीलदार ने भी उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 7.5.84 का उल्लेख किये बिना एवं उसमें पारित निर्देशों की अनदेखी करते हुये भूमि की केता नाथी मीना के नाम नामांतरकरण खोलने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2016 पारित करने में विधिक त्रुटि की है ।

हम समझते हैं कि विवादित भूमि के केता/विकेता उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर एवं उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 7.5.84 द्वारा विवादित भूमि को सिवाचयक घोषित कर कब्जेराज लेने बाबत दिये गये आदेश के कम में एवं उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की अनुपालना मे विवादित भूमि के सिवायचक का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं होने के संबंध में दौषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में अभिमत व्यक्त करते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । अतः दोनों अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से दोनों अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपरोक्तानुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु अति. कलक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अति. कलक्टर दौसा दिनांक 22.1.2016 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.10.2016 निरस्त किये जाते हैं तथा वेवादित भूमि के केता/विकेता उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर एवं उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 7.5.84 द्वारा विवादित भूमि को सिवाचयक घोषित कर कब्जेराज लेने बाबत दिये गये आदेश के कम में एवं उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की अनुपालना मे विवादित भूमि के सिवायचक का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं होने के संबंध में बाद जॉच दौषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 1.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त (चित्रा गुप्ता) आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर